



दिनांक 07.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति 365 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बहराइच/थाना कैसरगंज

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 06.07.2026 को थाना कैसरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरनी गांव रोड से प्यारेपुर जाने वाले मार्ग स्थित पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अशरफ अली उर्फ टन्ने घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कैसरगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बहराइच के थाना कैसरगंज पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, सीएस एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कैसरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-अशरफ अली उर्फ टन्ने निवासी ग्राम बढोली चौकीदारानपुरवा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद शामली/थाना थानाभवन

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- घटनाओं का अनावरण
- लूटे गये 67 हजार रुपये नगद
- घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो कार
- 03 पिस्टल मय खोखा कारतूस
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 06/07.07.2026 की रात्रि थाना थानाभवन व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1—साबिर 2—अमन 3—मोहसिन 4—जसवीर 5—काला उर्फ शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 67 हजार रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो कार, 03 पिस्टल मय खोखा कारतूस, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा कारित की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 230/26 धारा 310(2)/317(2)/109(1)/318(2)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—साबिर निवासी ग्राम गढ़ी झिझारा थाना गन्नौर जनपद सोनीपत, हरियाणा।
- 2—अमन निवासी नवादा थाना सनौली जनपद पानीपत, हरियाणा।
- 3—मोहसिन निवासी नवादा थाना सनौली जनपद पानीपत, हरियाणा।
- 4—जसवीर निवासी सरगथल थाना गोहाना जनपद सोनीपत, हरियाणा हालपता—ग्राम गढ़ी केसरी थाना गन्नौर जनपद सोनीपत, हरियाणा।

5-काला उर्फ शाहनवाज निवासी ग्राम नवादा थाना सनौली जनपद पानीपत, हरियाणा।

बरामदगी

- 1-लूटे गये 67 हजार रुपये नगद।
- 2-घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो कार।
- 3-03 पिस्टल मय खोखा कारतूस।
- 4-02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मंसूरपुर

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट की घटना का अनावरण
- लूट के 28 हजार 500 रुपये नगद
- घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 07.07.2026 को थाना मंसूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1-प्रिन्स 2-राजा उर्फ प्रशान्त 3-सौरभ को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 28 हजार 500 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना मंसूरपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मंसूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-प्रिन्स निवासी ग्राम लछेडा थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरपुर।
- 2-राजा उर्फ प्रशान्त निवासी बैगराजपुर थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरपुर।
- 3-सौरभ निवासी बैगराजपुर थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरपुर।

बरामदगी

1—लूट के 28 हजार 500 रुपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

जनपद बांदा/थाना बिसंडा

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की घटनाओं का अनावरण
- लगभग 10 लाख रुपये (कीमत) की चोरी की पीली-सफेद धातु के आभूषण
- 08 हजार 900 रुपये नगद
- 02 मोबाइल फोन
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 06/07.07.2026 की रात्रि थाना बिसंडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बाघा गल्ला मण्डी के पास से 02 अभियुक्तों 1—माताप्रसाद उर्फ भैरम 2—सुमेर को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रुपये (कीमत) की चोरी की पीली-सफेद धातु के आभूषण, 08 हजार 900 रुपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बिसंडा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिसंडा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिसंडा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—माताप्रसाद उर्फ भैरम निवासी देशराज का पुरवा थाना बिसंडा जनपद बांदा।

2—सुमेर निवासी देशराज का पुरवा थाना बिसंडा जनपद बांदा।

बरामदगी

- 1—लगभग 10 लाख रुपये (कीमत) की चोरी की पीली-सफेद धातु के आभूषण।
- 2—08 हजार 900 रुपये नगद।
- 3—02 मोबाइल फोन।
- 4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

कश्तिरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर-63

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 12 दो पहिया वाहन
- 01 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद

दिनांक 07.07.2026 को थाना सेक्टर-63 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1—गौरव 2—मन्नू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 दो पहिया वाहन, 01 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—गौरव निवासी ग्राम सहेल जनपद अमरोहा हालपता—गाजीपुर थाना गाजीपुर, दिल्ली।
- 2—मन्नू निवासी ग्राम निधौली थाना धौलाना जनपद हापुड़ वर्तमान पता—छिजारसी कॉलोनी थाना सेक्टर-63 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

- 1—चोरी की 12 दो पहिया वाहन।
- 2—01 फर्जी नम्बर प्लेट आदि।



दिनांक 07.07.2026

प्रेस विज्ञापित 366 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण एवं पीड़ित-केंद्रित व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेशव्यापी समीक्षा बैठक आयोजित

- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण, साइबर पुलिसिंग को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा साइबर अपराध पीड़ितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
- साइबर अपराध एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रदेशभर में 07 दिवसीय विशेष अभियान "ऑपरेशन साइ-वज्र (Cy-Vajra)" चलाये जाने के निर्देश दिए।
- साइबर अपराध पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए MRM (Money Restoration Module) एवं निर्दोष व्यक्तियों के बैंक खातों के होल्ड/फ्रीज संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु GRM (Grievance Redressal Module) की कार्यवाही के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए।
- 01 अप्रैल, 2025 से 30 जून, 2026 तक की अवधि में 2,94,024 संदिग्ध मोबाइल नंबर, 1,81,405 मोबाइल उपकरण (IMEI) ब्लॉक कराए गए तथा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित ₹530 करोड़ की धनराशि पर Lien/Hold लगाकर उसे साइबर अपराधियों तक पहुँचने से रोका गया।
- महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुए साइबर अभिसूचना आधारित कार्रवाई, क्षमता संवर्द्धन, नियमित प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा साइबर अपराध की प्रभावी रोकथाम एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं परिणामोन्मुख कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु समय-समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, श्री राजीव कृष्ण द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त निर्धारित की गई 10 प्रमुख प्राथमिकताओं में साइबर अपराध नियंत्रण को विशेष स्थान प्रदान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में साइबर पुलिसिंग को सुदृढ़ करने, साइबर इकाइयों की क्षमता संवर्द्धन, साइबर अभिसूचना आधारित कार्रवाई, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम तथा साइबर अपराध पीड़ितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। इन सतत प्रयासों के फलस्वरूप साइबर अपराध नियंत्रण एवं साइबर पुलिसिंग के विभिन्न मानकों पर उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान स्थापित करने में सफल रही है।

इसी क्रम में दिनांक 06 जुलाई, 2026 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम, साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा साइबर अपराध पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम **श्री बी.के. सिंह**, पुलिस उपमहानिरीक्षक, साइबर क्राइम **श्री पवन कुमार**, प्रदेश के समस्त कमिश्नर एवं जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, साइबर अपराध के नोडल अधिकारी, साइबर सेल एवं साइबर थानों में कार्यरत पुलिसकर्मी तथा साइबर अपराध मुख्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए।

बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में साइबर अपराध नियंत्रण तंत्र की समीक्षा करते हुए कमिश्नर एवं जनपद स्तर पर साइबर प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ बनाना, वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना, साइबर इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों की क्षमता का विकास करना तथा साइबर अभिसूचना (Cyber Intelligence) के आधार पर साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी एवं परिणामोन्मुख कार्रवाई सुनिश्चित करना था।

बैठक के दौरान दिनांक **01 अप्रैल, 2025 से 30 जून, 2026 की अवधि** में साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में प्रदेश में की गई कार्यवाही की समीक्षा भी की गई। इस अवधि में साइबर अपराध में प्रयुक्त **2,94,024 संदिग्ध मोबाइल नंबरों तथा 1,81,405 मोबाइल उपकरणों (IMEI) को ब्लॉक** कराया गया। साथ ही साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में **₹530 करोड़ की धनराशि पर Lien/Hold लगाकर** उसे साइबर अपराधियों तक पहुँचने से रोका गया। पुलिस महानिदेशक ने इन उपलब्धियों की सराहना करते हुए निर्देशित किया कि साइबर अपराध की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया जाए।

बैठक में पुलिस महानिदेशक द्वारा साइबर अपराध पीड़ितों की शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी पंजीकरण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि तकनीकी अथवा अन्य कारणों से लंबित अथवा अपूर्ण शिकायतों का यथाशीघ्र निस्तारण करते हुए उन्हें ऑनलाइन प्रणाली में समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जाए, जिससे साइबर अपराधियों तक धनराशि पहुँचने से पूर्व अधिकतम राशि को सुरक्षित किया जा सके। इस संबंध में सभी कमिश्नर एवं जनपदों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधारात्मक निर्देश भी प्रदान किए गए।

साइबर अपराध की प्रभावी रोकथाम के दृष्टिगत संदिग्ध मोबाइल नंबरों एवं मोबाइल उपकरणों को ब्लॉक कराने, साइबर वित्तीय अपराधों में प्रयुक्त बैंक खातों की पहचान कर उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए गए। इन मानकों के आधार पर प्रदेश के सभी कमिश्नर एवं जनपदों की समीक्षा करते हुए कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।

बैठक में साइबर अपराध पीड़ितों की धनराशि शीघ्र वापस दिलाने की व्यवस्था की भी विस्तार से समीक्षा की गयी एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा विकसित मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल MRM (Money Restoration Module) एवं ग्रीवान्स रिड्रेसल मॉड्यूल GRM (Grievance Redressal Module) के बारे में अवगत कराया गया।

MRM (Money Restoration Module) क्या है?

MRM, भारत सरकार के CFCFRMS पोर्टल का एक मॉड्यूल है, जिसका उद्देश्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को उनकी होल्ड की गई धनराशि वापस दिलाना है।

जब संबंधित बैंक द्वारा पीड़ित का विवरण MRM पोर्टल पर अपडेट किया जाता है, तो पीड़ित के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS/लिंक प्राप्त होता है। इस लिंक के माध्यम से पीड़ित Money Restoration Request MRM पोर्टल पर दर्ज करता है। उक्त अनुरोध संबंधित पुलिस इकाई को MRM पोर्टल पर प्राप्त होता है, जहाँ जांच एवं सत्यापन के उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट/आदेश संबंधित बैंक को प्रेषित किया जाता है। इसके पश्चात् बैंक नियमानुसार पीड़ित के खाते में धनराशि वापस करता है। इस प्रक्रिया में यदि होल्ड धनराशि ₹50,000 से कम की है तो FIR अथवा Court Order की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ₹50,000 से अधिक की धनराशि की बहाली के लिए FIR दर्ज होना अनिवार्य है।

GRM (Grievance Redressal Module) क्या है?

यदि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के दौरान किसी निर्दोष व्यक्ति का बैंक खाता होल्ड/फ्रीज हो जाता है तो वह संबंधित बैंक शाखा में प्रार्थना-पत्र देकर GRM पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। बैंक द्वारा Enhanced Due Diligence (EDD) पूर्ण करने के उपरांत शिकायत GRM पोर्टल के माध्यम से संबंधित पुलिस थाना के विवेचक/जांच अधिकारी (IO) को जांच हेतु प्रेषित की जाती है। जांच उपरांत उचित पाये जाने पर खाते से प्रतिबंध हटाने अथवा न हटाने की कार्यवाही की जाती है।

पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि इन सभी सुविधाओं एवं प्रक्रियाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अधिकाधिक नागरिक इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

बैठक में साइबर अपराध के विरुद्ध कार्यरत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता में वृद्धि तथा नवीन साइबर अपराध प्रवृत्तियों के अनुरूप क्षमता विकास पर विशेष बल दिया गया। साथ ही आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश भी दिए गए।

पुलिस महानिदेशक ने यह भी निर्देशित किया कि वित्तीय साइबर अपराधों के अतिरिक्त महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाए। ऐसे अपराधों से संबंधित अभिसूचना का प्रभावी संकलन कर संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के विरुद्ध समन्वित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक ने साइबर अपराध एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी, समन्वित एवं परिणामोन्मुख कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 07 दिवसीय विशेष अभियान "ऑपरेशन साइ-वज्र (Cy-Vajra)" संचालित किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में पुलिस महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि साइबर अपराध के विरुद्ध प्रदेश में एक समन्वित, तकनीक-सक्षम एवं पीड़ित-केंद्रित कार्यप्रणाली विकसित करते हुए समयबद्ध, प्रभावी एवं परिणामोन्मुख कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे नागरिकों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो तथा साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

